प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 29.07.2025**

थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा साइबर सम्बन्धी अपराध कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद एन्ड्रॉइड मोबाइल फोन, ₹ 4300/- रूपये, 02 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद पासबुक व 01 दो पहिया वाहन बरामद हुआ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 28.07.2025 को थाना रसूलाबाद पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत वांछित अपराधियों की चेकिंग हेतु गश्त कर रही थी कि तभी कपिल कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी भोलापुरवा बाना, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात ने आकर बताया कि साहब गोपाल पुत्र मंगल सिंह निवासी महूपुर थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात व सोनू पुत्र लाल सिंह निवासी अहमदपुर, थाना ककवन, जनपद कानपुर नगर, मेरे जानने वाले हैं उनसे मेरी मोबाइल पर बातचीत भी होती रहती थी। गोपाल व सोनू उपरोक्त ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे खाते में रूपये ट्रान्सफर कराउंगा, जिसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा मिल जायेगा। जिसके बाद गोपाल और सोनू उपरोक्त द्वारा दिनांक 24.07.2025 को मेरी यूनियन बैंक की पासबुक तथा एटीएम ले लिया गया। दोनों द्वारा मेरे खाते का संचालन किया जा रहा था। गोपाल व सोनू उपरोक्त द्वारा मेरा सिम भी ओटीपी के लिये मांगा गया था, लेकिन मैंने मोबाइल व सिम नहीं दिये थे। दिनांक 25.07.2025 को मेरे मोबाइल पर करीब 15500/- रूपये के 08 ट्रांजेक्शन के मैसेज आये तो मुझे शक हुआ कि गोपाल व सोनू उपरोक्त के द्वारा फ्रॉड करके रूपये मगांये जा रहे है। 15500/- रूपये में से दोनों के द्वारा 7100/ रुपये निकाल लिये गये। तब मैंने अपने एकाउन्ट में बचे हुये करीब 8400/- रूपये में से 7900/- रूपये अपने बहनोई बृजभान सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी गौतमबुद्ध नगर रसूलाबाद, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात के एकाउन्ट में ट्रान्सफर कर दिये थे। गोपाल व सोनू उपरोक्त द्वारा कई बार फोन करके मुझसे बचे हुए 8400/- रूपये मांगे गये। आज गोपाल उपरोक्त अपने साथी सोनू उपरोक्त के साथ रसूलाबाद में झींझक रोड पर खड़ा है। उक्त सूचना पर थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो गुनगुन मोटर्स के सामने भोप्पा निवादा मोड़ पर अपाचे मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति बैठे दिखायी दिये। पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो गोपाल उपरोक्त व सोनू उपरोक्त के कब्जे से 02 अदद एन्ड्रॉइड मोबाइल फोन, 02 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद पासबुक व ₹ 4300/- रूपये बरामद हुए। गिरफ़्तारी व बरामदगी के आधार पर उ0नि0 श्री अमित पोरवल द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 310/2025 धारा 318(4)/112(2) बीएनएस व धारा 66(डी) आईटी एक्ट बनाम 1. गोपाल उपरोक्त 2. सोनू उपरोक्त 3. सीबू पुत्र जयसिंह निवासी गिरवरसिंह का पुरवा, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आए अन्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन के आधार पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पूछताछ का विवरण-

पूछने पर दोनों अभियुक्तों द्वारा मांफी मांगते हुये बताया कि साहब हम लोग थोड़े से लालच में आकर यह काम करते हैं। हम दोनों का एक साथी सीबू पुत्र जयसिंह निवासी गिरवरसिंह का पुरवा, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात है, जो हम लोगों को लालच देकर यह काम करवाता है। पैसा फ्रॉड करके डलवाना सीबू का काम है और हम लोगों को पैसा निकालने

व नये व्यक्ति को फंसाकर बैंक खातों व ATM की व्यवस्था करने का हिस्सा देता है। सीबू ने कपिल के एकाउन्ट में 15500/- रूपये का फ्रॉड करके ट्रांजेक्शन करवाया था। जिसमें से सोनू ने कपिल के एटीएम से करीब 7600/- रूपये निकाले थे जिनको हम दोनों तथा सीबू ने बांट लिया था। यह रूपये जो हम दोनों के पास से मिले है उन्ही रूपयों में से बचे थे। शेष 8400/- रूपये जो कपिल के एकाउन्ट, में बचा था उसके लिये कई बार हमने कपिल से देने को कहा तो कपिल ने मना कर दिया था। आज हम लोग अपना बचा हुआ पैसा लेने रसूलाबाद आये थे कि आप लोगों ने पकड लिया। साहब माफ कर दो गलती हो गयी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. गोपाल उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र मंगल सिंह निवासी महूपुर थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।
2. सोनू उम्र लगभग 18 वर्ष पुत्र लाल सिंह निवासी अहमदपुर थाना ककवन जिला कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरण-

02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन, 02 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद पासबुक, ₹ 4300/- रूपये व 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे UP 78 JD 1587 बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस